कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक क्रमांक–शिविरा–माध्य/संस्था/सी–1/अंग्रेजी/स्थानान्तरण/2020–21 दिनांक 04.01.2021 के द्वारा गौतम लाल कटारा व्याख्याता अंग्रेजी का स्थानान्तरण राउमावि कलींजरा, बांसवाड़ा से राउमावि घाटोल, बांसवाड़ा किया गया। इनके द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 22/2021 गौतम लाल कटारा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई।

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 10.02.2021 द्वारा इन्हें विभाग के समक्ष 15 दिवस की अवधि में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में इनके द्वारा दिनांक 22.02.2021 को एक अभ्यावेदन देते हुए राउमावि बागीदौरा, बांसवाड़ा/राबाउमावि बागीदौरा, बांसवाड़ा/स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल बागीदौरा, बांसवाड़ा में किसी एक विद्यालय में पदस्थापित करने का निवेदन किया है।

याचिकार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग सहानुभूतिपूर्वक पर विचार किया गया। याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन/परिवेदना एतद् द्वारा स्वीकृत करते हुए श्री गौतम लाल कटारा व्याख्याता अंग्रेजी को राउमावि बागीदौरा, बांसवाड़ा में व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर पदस्थापित कर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

सभी पक्षकार सूचित होवें।

(सौरभ स्वामी)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी–1/अधि.अपील सं. 22/गौतम लाल कटारा/2021 दिनांक : 25/2/2021
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :–

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग/सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. संबंधित प्राधानाचार्य,
8. संबंधित कार्मिक
9. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर